प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 7–8 मई, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 7–8 मई, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, राजस्व संग्रहण आदि की समीक्षा विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निदेश दिये गये:–

सबके लिए आवास योजना :–

- सभी परामर्शी संस्था को HFPoA का कार्य माह मई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा शिवहर नगर पंचायत में वार्डसभा आयोजित नहीं किये जाने के कारण परामर्शी संस्था से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
- फुलवारीशरीफ नगर परिषद में डिमांड सर्वे का कार्य अभी तक शुरू नहीं कराने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।
- पटना नगर निगम में परामर्शी संस्था (SEN & LAL) द्वारा स्लम का सर्वेक्षण नहीं किये जाने एवं दानापुर नगर परिषद में कार्य संतोषप्रद नहीं रहने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा शिकायत किये जाने की वजह से परामर्शी संस्था से स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।
- ढाका नगर पंचायत में बोर्ड के कार्यशील नहीं होने के कारण Housing for All Plan of Action के Approval हेतु विभाग के वरीय पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता करने का निदेश दिया गया।
- सुपौल, सहरसा, बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि परामर्शी संस्था (REPL) के प्रतिनिधि निकाय में काफी लम्बे समय से उपस्थित नहीं हुये है। परामर्शी संस्था को सभी संबंधित निकायों में शीघ्र अपनी टीम भेजने का निदेश दिया गया।
- मेहसी नगर पंचायत का Housing for All Plan of Action अविलम्ब जमा करने का निदेष परामर्शी को दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा अपने कर्मी को मानेदय का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कर्मी द्वारा रामनगर नगर पंचायत में कार्य नहीं किये जाने की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी गयी। परामर्शी संस्था (REPL) को अपने कर्मी को निकाय में शीघ्र भेजने का निदेष दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा BLC घटक में निर्धारित मांग एवं निकाय द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अत्यधिक अंतर रहने के कारण सभी निकायों को प्रत्येक माह में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने का निदेष दिया गया माह मई का प्रस्ताव 12 मई 2018 तक भेजने का निदेष दिया गया।
- सभी नगर निकायों को पूर्व में BLC घटक में स्वीकृत परियोजनाओं में लाभुकों की MIS Entry एवं DPR से संबद्ध करने का निदेष दिया गया।
- बनमनखी नगर पंचायत में तृतीय एवं चतुर्थ चरण में स्वीकृत BLC परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नही रहने के कारण स्पष्टीकरण पुछे जाने का निदेश दिया गया।

- योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में पात्र लाभुकों को अगली किस्त की राशि का भुगतान अविलम्ब करने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया। यदि किसी परियोजना में माह के अंत तक खर्च शून्य रहता है तो संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी।
- योजना के भागीदारी में किफायती आवास एवं स्वस्थानें स्लम पुर्नवास एवं पुर्नविकास घटक के कार्यान्वयन हेतु उपर्युक्त भूमि का चयन करने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया। इस संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत निदेश पूर्व से ही दिया जा चुका है।
- योजना के तहत परिभाषित किये गये स्लम (कम से कम 60 से 70 परिवार) को चिन्हित करने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया, जिससे उन स्लमों को योजना के अंतर्गत विकसित किया जा सके।
- IHSDP योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों को अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश सभी संबंधित निकायों को दिया गया।
- RAY योजना अंतर्गत वैसे आवासीय इकाई, जिस पर अबतक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने एवं निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों को अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश सभी संबंधित निकायों को दिया गया।

<u>AMRUT योजना</u> :-

दिनांक–07.05.2018 एवं 08.05.2018 को AMRUT योजनान्तर्गत पार्क निर्माण योजनाओं की समीक्षा की गई, स्थिति निम्नवत् है :–

<u>पार्क निर्माण योजना</u> :–

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी/महाप्रबंधक, रेलवे से समन्वय स्थापित कर तीन पार्क के स्थल का चयन किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा 31.05.2018 तक स्थल चयन कर DPR समर्पित करने का निदेष दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण अन्तर्गत Boundary wall का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि Non-schedule items के quotation हेतु प्रक्रिया पूरी की जाय।
- अपर निगम आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय के द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद् की आपत्ति के आलोक में standing committee द्वारा Resolution पारित किया गया है। NOC प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा अविलम्ब NOC प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- निगम आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु चौथी बार हुई निविदा में प्रथम बार एकल निविदाकार को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना की पुनर्निविदा की गयी है। SAAP-II अंतर्गत 3 पार्कों के BOQ की जाँच अभियंत्रण कोषांग द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि अमृत योजना अन्तर्गत पार्क की नई योजना विचाराधीन नहीं है।
- नगर आयुक्त, आरा नगर निगम द्वारा बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II में स्वीकृत पार्क योजना का कार्य प्रगति में है। नगर आयुक्त, आरा द्वारा पूर्व में SAAP-III अन्तर्गत पार्क का DPR फरवरी के अन्त तक समर्पित की बात बतायी गयी थी। किन्तु अभी तक DPR समर्पित नही किया गया है। उक्त DPR एक सप्ताह में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

- नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ के द्वारा बताया गया कि SAAP-I अन्तर्गत स्वीकृत पार्क में मिट्टी का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु site selection किए जाने की बात कही गई। प्रधान सचिव द्वारा site selection कर 31.05.2018 तक DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के Boundary wall का कार्य प्रगति में है। पूर्व में उनके द्वारा एक और पार्क हेतु DMCH, दरभंगा द्वारा NOC दिये जाने की बात कही गई थी। किन्तु इस बैठक में DMCH द्वारा NOC नहीं देने की बात कही गयी। इस संबंध में अन्तिम प्रतिवेदन एक सप्ताह में समर्पित करने की बात कही गयी।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी। पूर्व में दो पार्क हेतु जमीन अनुपलब्ध नहीं होने की बात कही गई थी, किन्तु छपरा नगर निगम के नये आयुक्त द्वारा अमृत पार्क हेतु जमीन की उपलब्धता के संबंध में पुनः समीक्षा करने की बात कही गयी। निदेश दिया गया कि जमीन उपलब्धता की स्थिति में 31.05.2018 तक DPR समर्पित किया जाय।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि पार्क का SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III का समेकित DPR समर्पित किया गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा द्वारा पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Boundary wall एवं Earthwork प्रगति में है। इन्हें SAAP-II के अन्तर्गत T/S estimate अविलम्ब समर्पित करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु कला एवं संस्कृति विभाग से NOC प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में जानकारी दी गई।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् सिवान द्वारा SAAP-1 के अन्तर्गत पार्क निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गयी। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण नहीं होने की बात कही गई। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु एक सप्ताह में DPR समर्पित करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को अविलम्ब BOQ एवं SOQ अनुमोदन कराकर निविदा एवं कोटेशन करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work पूर्ण हो चुका है। पूर्व में SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु रेलवे से NOC लेने की बात कही गयी थी, किन्तु आज की बैठक में उनके द्वारा रेलवे द्वारा पार्क हेतु जमीन का NOC नही देने की बात की गयी। उनके द्वारा गौशाला की जमीन पर पार्क बनाने हेतु NOC प्राप्त करने की बात कही गई। SAAP-I अन्तर्गत पार्क हेतु आवंटन की माँग की गई।
- कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work प्रगति में है, SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किया गया है तथा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई, किन्तु सफल नहीं हो सका। उनके द्वारा बताया गया कि पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही है। पुनर्निविदा की कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया। इन्हें FSM योजना का DPR एक सप्ताह में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया द्वारा अमृत योजना के SAAP-I एवं SAAP-II अन्तर्गत समेकित पार्क निर्माण के संबंध में बताया गया कि अद्यतन अनुसूचित दर पर BOQ विभाग में समर्पित कर दिया गया है। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण के DPR में आवश्यक संशोधन हेतु नगर निगम को DPR वापस किया गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डेहरी द्वारा अमृत योजनान्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work 90% पूर्ण हो चुका है। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा NOC प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारी द्वारा तीसरे पार्क हेतु स्थल नहीं उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् जमालपुर द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा आमंत्रित की गयी है। तुलनात्मक विवरणी एक–दो दिनों में समर्पित करने की बात कही गयी।
- नगर प्रबंधक, नगर निगम, भागलपुर को SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क के संबंध में अविलम्ब सम्यक् निर्णय लेने का निदेश दिया गया। SAAP-II अन्तर्गत भैरवा पार्क का DPR विभाग में समर्पित करने की बात कही गई। SAAP-II अन्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क योजना का DPR अविलम्ब समर्पित किया जाय।
- कार्यपालक पदा०, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा बताया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है।
- नगर निगम, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II (समेकित) अन्तर्गत पार्क निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं है। पार्क निर्माण शुरू होने पर Hindrance हटा दिया जाएगा। इन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को इस आशय का पत्र देते हुए कार्य अविलम्ब शुरू कराने हेतु अनुरोध करने का निदेश दिया गया। अमृत पार्क योजना अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र में बड़े पार्क हेतु स्थल चयन कर DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया को बताया गया कि SAAP-II अन्तर्गत पार्क निर्माण का Work order विभाग द्वारा निर्गत कर दिया गया है। उन्हें निदेष दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत पार्क निर्माण का DPR 31.05.2018 तक समर्पित किया जाय।
- कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत बोधगया को पुनः निदेश दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत AMRUT पार्क की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अविलम्ब प्राक्कलन समर्पित किया जाय। SAAP-II के अन्तर्गत अमृत पार्क का DPR दिनांक 31.05.2018 तक समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-schedule items के कोटेशन हेतु प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।

- नगर परिषद सहरसा, नगर परिषद जहानाबाद, नगर निगम गया एवं नगर निगम छपरा को Credit Rating से संबंधित Data तुरंत संबंधित Credit Rating Consultant को उपलब्ध कराने का निदश दिया गया।
- नगर निगम कटिहार, नगर परिषद् जहानाबाद, नगर परिषद सीवान एवं नगर परिषद औरंगाबाद को तुरंत BRJP को अमृत योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का आवंटन BRJP को Transfer करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदा०/BRJP/अभियंत्रण कोषांग/नोडल पदा०)

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना :–

- डी० डालमियानगर नगर निकाय द्वारा बताया गया कि 700 व्यक्तिगत शौचालय को पूर्ण कर लिया गया है। शेष इस माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा एवं जून तक ODF घोषित किया जाएगा।
- पकड़ीदयाल नगर निकाय द्वारा बताया गया कि 2050 व्यक्तिगत शौचालय लाभुकों प्रथम किस्त की राशि उपलबध करायी गई है। इनकी व्यक्तिगत शौचालय में उपलब्धी 60 प्रतिशत है, जो संतोषजनक नहीं है।
- बगहा नगर निकाय द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत शौचालय में प्रगति 30 प्रतिशत है, जो घोर असंतोषजनक है।
- महुआ नगर निकाय द्वारा बताया गया कि इनकी व्यक्तिगत शौचालय में प्रगति 31 प्रतिशत हैं, जो घोर असंतोषजनक है।
- मखदुमपुर नगर निकाय द्वारा बताया गया कि इनकी व्यक्तिगत शौचालय में प्रगति 50 प्रतिशत है, जो असंतोषजनक है।
- अररिया नगर निकाय द्वारा बताया गया किय इनकी व्यक्तिगत शौचालय में प्रगति 48 प्रतिशत है, जो घोर असंतोषजनक है एवं 02 जून को अचार संहिता के उपरांत मोबाईल टॉयलेट या कम्यूनिटी टॉयलेट की निविदा निकाला जाएगा।
- फारबीसगंज नगर निकाय द्वारा बताया गया कि इनकी व्यक्तिगत शौचालय में प्रगति 42 प्रतिशत है, जो घोर असंतोषजनक है।
- जोगबनी नगर निकाय द्वारा बताया गया कि इनकी व्यक्तिगत शौचालय में प्रगति 50 प्रतिशत है, जो असंतोषजनक है।
- छपरा नगर निकाय द्वारा बताया गया कि इनकी व्यक्तिगत शौचालय में प्रगति 46 प्रतिशत है।
- जहानाबाद, नगर निकाय द्वारा बताया गया कि दिनांक–14.05.2018 तक उनके निकाय को जितनी भी मोबाईल टॉयलेट की आवश्यकता है, उसका आकलन कर निविदा की कार्रवाई पुरी करेंगे।
- बेनीपुर नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कम्यूनिटी टॉयलेट जरूरत के हिसाब से Editing नहीं किया गया है। दिनांक–14.05.2018 तक Editing का कार्य पूर्ण करेंगे।
- मधुबनी, नगर निकाय द्वारा बताया गया कि बचे हुए Editing कार्य को दिनांक–14.05.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा एवं मोबाईल टॉयलेट एवं कम्यूनिटी टॉयलेट की निविदा को दिनांक–10.05.2018 के बाद खोला जाएगा।
- सहरसा नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक शौचालय के Editing का कार्य दिनांक–14.05.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा एवं निविदा से संबंधित जानकारी भी दिनांक–14.05.2018 तक उपलब्ध करा लिया जाएगा।

- नवीनगर नगर निकाय द्वारा बताया गया कि दिनांक–20.05.2018 तक मोबाईल टॉयलेट/सामुदायिक शौचालय की निविदा निकाल दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी दिनांक–21.05.2018 तक विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- बहादुरगंज, नगर निकाय द्वारा बताया गया कि मोबाईल टॉयलेट संबंधित निविदा निकाली गई थी, किन्तु एक भी निविदा दाता द्वारा निविदा नहीं डाला गया। इस सप्ताह के अंत तक पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाएगी।
- ठाकुरगंज नगर निकाय द्वारा बताया गया कि 86 सीट मोबाईल टॉयलेट की निविदा निकाली जा चुकी है। दिनांक–10.05.2018 के बाद निविदा को खोला जाएगा।
- सोनपुर नगर निकाय द्वारा बताया गया कि मोबाईल टॉयलेट एवं सामुदायिक शौचालय की निविदा निकाली जा चुकी है।
- मढ़ौरा नगर निकाय द्वारा बताया गया कि दिनांक–14.05.2018 तक मोबाईल टॉयलेट/सामुदायिक शौचालय से संबंधित निविदा निकाल कर अग्रेत्तर जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी एवं Editing का कार्य भी कर लिया जाएगा।
- गोगरी जमालपुर नगर निकाय द्वारा बताया गया कि दिनांक–14.05.2018 तक मोबाईल टॉयलेट/सामुदायिक शौचालय से संबंधित निविदा निकाल कर अग्रेत्तर जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- शेरघाटी नगर निकाय द्वारा बताया गया कि सामुदायिक शौचालय बनाने हुए जमीन उपलब्धता संबंधित NOC जिला पदाधिकारी से मिलकर अद्यतन प्रगति को दिनांक–14.05.2018 तक विभाग को भेज दिया जाएगा।
- बरारी नगर निकाय द्वारा बताया गया कि दिनांक–14.05.2018 तक बोर्ड के बैठक के बाद मोबाईल टॉयलेट/सामुदायिक शौचालय से संबंधित निविदा निकाल कर अग्रेत्तर जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- रोसड़ा नगर निकाय द्वारा बताया गया कि दिनांक–14.05.2018 तक मोबाईल टॉयलेट/सामुदायिक शौचालय से संबंधित निविदा निकाल कर अग्रेत्तर जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- औरंगाबाद नगर निकाय द्वारा बताया गया कि दिनांक–14.05.2018 तक मोबाईल टॉयलेट/सामुदायिक शौचालय स संबंधित निविदा निकाल कर अग्रेत्तर जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी एवं Editing का कार्य भी दिनांक–14.05.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

राज्य योजना :–

- राज्य के विभिन्न नगर निकायों में राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न मदों यथा–नाला निर्माण, पथ एवं पुलिया निर्माण, नागरिक सुविधा आदि मदों में स्वीकृत योजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय स्थिति का अनुश्रवण किया गया। उक्त के क्रम में मात्र 37 नगर निकायों द्वारा स्वीकृत योजनाओं से संबंधित विवरणी उपलब्ध करायी गयी थी, जिनके अनुसार कुल 213 स्वीकृत योजनाओं में से 73 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	चालू योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	नगर निगम आरा	20	0	20
2	नगर निगम, पूर्णियाँ	12	1	11

3	नगर निगम, बेगूसराय	9	1	8
4	नगर परिषद्, जमालपुर	0	0	0
5	नगर परिषद्, खगौल	7	6	1
6	नगर परिषद्, लखीसराय	10	6	4
7	नगर परिषद्, नवादा	10	5	5
8	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ	14	12	2
9	नगर परिषद्, नरकटियागंज	4	1	3
10	नगर परिषद्, फारविसगंज	2	0	2
11	नगर परिषद्, किशनगंज	3	0	3
12	नगर परिषद्, बेनीपुर	3	0	3
13	नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर	2	0	2
14	नगर परिषद्, बरबीघा	0	0	0
15	नगर परिषद्, रक्सौल	3	0	3
16	नगर परिषद्, सीवान	2	2	0
17	नगर परिषद्, सहरसा	3	0	3
18	नगर परिषद्, शेखपुरा	3	1	2
19	नगर पंचातय, दलसिंहसराय	10	6	4
20	नगर पंचायत, ढाका	1	0	1
21	नगर पंचायत, घोघड़डीहा	12	1	11
22	नगर पंचायत, हिसुआ	3	0	3
23	नगर पंचायत, इस्लामपुर	4	0	4
24	नगर पंचायत, जनकपुर रोड	3	0	3
25	नगर पंचायत, कोआथ	0	0	0
26	नगर पंचायत, मैरवा	5	4	1
27	नगर पंचायत, मोतिपुर	3	0	3
28	नगर पंचायत, नासरीगंज	0	0	0
29	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	14	13	1
30	नगर पंचायत, रामनगर	2	0	2
31	नगर पंचायत, शाहपुर	6	0	6
32	नगर पंचायत, ठाकुरगंज	14	0	14
33	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	12	0	12
34	नगर पंचायत, बलिया	0	0	0
35	नगर पंचायत, अरेराज	1	1	0
36	नगर पंचायत, बहादुरगंज	13	13	0
37	नगर पंचायत, बखरी	3	0	3
		213	**73**	**140**

- समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकायों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण खेद प्रकट करते हुए निदेश दिया गया कि उक्त तालिका के अतरिक्त शेष नगर निकायों द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ आगामी समीक्षात्मक बैठक के पूर्व विभागीय MIS को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लिया जाए।

<u>मुख्यमंत्री नाली–गली निश्चय योजनाः–</u>

- दिनांक–08.05.2018 को विभागीय सभागार में मासिक समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने सभी योजनाओं की प्रविष्टि MIS Portal पर अवश्य करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अब तक आवंटित राशि के व्यय विवरणी के साथ–साथ उनके द्वारा निश्चय योजना के तहत लिए जाने वाले सभी योजनाओं

(नाली–गली) की लम्बाई, चौड़ाई, कच्चा, पक्का आदि का उल्लेख करते हुए आवश्यक आवंटन के संबंध में शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करें।

निकायों का वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट प्राक्कलन :–

- निकायों के वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन की समीक्षा की गई। विभागीय पत्रांक–7439 दिनांक–20.11.2017 द्वारा सभी स्थानीय निकायों को 15 फरवरी 2018 तक बजट प्राक्कलन (बोर्ड से पारित कराकर) विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, पुनः दिनांक–19.03.2018, 20.03.2018, 21.03.2018 एवं 23.03.2018 को विभिन्न प्रमण्डलों में अवस्थित निकाय बार बजट प्राक्कलन विभाग में प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था, पुनः विभागीय पत्रांक–1864 दिनांक–31.03.2018 को भी जिन निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 बोर्ड से पारित कराकर उपलब्ध नहीं कराया गया था, पत्र द्वारा निदेशित किया गया था।
- विभागीय निर्देशित के बाबजूद भी कुछ निकायों यथा– नगर निगम पटना, छपरा नगर परिषद सासाराम, अरवल, रक्सौल, मधेपुरा, अररिया, फारबिसंगज, नगर पंचायत कोआथ, कोचस, बोधगया, शेरघाटी, सुरसण्ड, कांटी, साहेबगंज, खेसरिया, पकड़ीदयाल, रामनगर, झझारपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, सोनपुर, मढ़ौरा, रिविलगंज, निर्मली, सिमरी बख्तियारपुर, जोगवनी, एवं मनिहारी द्वारा बजट प्राक्कलन उपलबध नहीं कराया गया है, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर बजट प्राक्कलन सभी औपचारिकताओं को पूरी कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि बजट प्राक्कलन विभागीय स्वीकृति के बिना व्यय करना नियम सम्मत नहीं है एवं इसकी सम्पूर्ण जबावदेही संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

होल्डिंग टैक्स :–

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ निकायों द्वारा लक्ष्य से अधिक वसूली की गई है, यथा नगर निगम, दरभंगा/भागलपुर, नगर परिषद, अररिया/बांका/किशनगंज/समस्तीपुर/शेखपुरा, नगर पंचायत, अमरपुर/ढांका/गोगरीजमालपुर/हिसुआ/महाराजगंज/मैरवा/नौबतपुर/रिविलगंज/सिलाव/टेकारी। लक्ष्य से अधिक वसूली किये जाने वाले स्थानीय निकाय के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
- कुछ स्थानीय निकायों द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत से कम भी वसूली की गई, जैसे :–नगर निगम, पटना, नगर परिषद, बख्तियारपुर/बेतिया/बिहट/डेहरी डालमियानगर/फतुहा/जमालपुर/जमुई/जहानाबाद/मधेपुरा/मोकामा/सहरसा एवं नगर पंचायत, अरेराज/बैरगनिया/वनमंखी/बिहिया/दाउदनगर/दिघवारा/एकमाबाजार/जगदीशपुर/जयनगर/झाझा/झंझारपुर/कांटी/कैटया/कोईलवर/लालगंज/महुआ/मकदुमपुर/मनिहारी/नासरीगंज/निर्मली/रोसड़ा/पकड़ीदयाल/राजगीर एवं मोहनियां। नगर पंचायत, घोघरडीहा का वसूली का प्रतिशत शून्य है। नगर पंचायत, घोघरडीहा एवं साहेबगंज द्वारा लक्ष्य एवं वसूली शून्य दर्शाया गया है। उन्हें लक्ष्य एवं वसूली प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- जिन निकायों द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध अत्यंत ही कम वसूली की गई है, उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए चालू वित्तीय वर्ष में शत–प्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया।

उपयोगिता प्रमाण पत्र/ए०सी०/डी०सी० :–

- वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक निम्नांकित नगर निकायों में प्राप्त सहायक अनुदान मद के विरूद्ध लंबित एक करोड़ से अधिक राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

राशि लाख में

क्र.सं.	नगर निगम का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि	नगर परिषद् का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि	नगर पंचायत का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	आरा	959.15	बगहा	381.85	अमरपुर	116.23
2	बेगुसराय	789.82	बांका	396.11	बखरी	307.06
3	भागलपुर	478.46	बेनीपुर	223.97	बनमनखी	105.25
4	बिहारशरीफ	137.73	बेतिया	747.35	चकिया	165.01
5	छपरा	858.59	जमालपुर	385.34	ढ़ाका	192.02
6	मुंगेर	113.22	मधेपुरा	297.51	दिघवारा	182.17
7	मुजफ्फरपुर	853.69	सासाराम	237.07	हवेली–खड़गपुर	558.52
8	पटना	7250.96	सहरसा	559.74	जनकपुररोड	108.22
9			सीतामढ़ी	101.81	झाझा	329.53
10			सीवान	1028.46	झंझारपुर	317.29
11					मीरगंज	152.68
12					नवीनगर	175.3
13					नोखा	197.96
14					परसाबाजार	108.19
15					रामनगर	150.02
16					रिविलगंज	181.16
17					रोसड़ा	197.95
18					सिमरी–बख्तियारपुर	262.55
19					विक्रम	236.01

- समीक्षा के क्रम में जिस मद की राशि का उपयोग नहीं किया गया है उसका उसी मद एवं कार्य में उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग में यथाशीघ्र समर्पित करने का निदेश संबंधित नगर निकायों को दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक निम्नांकित नगर निकायों में प्राप्त सहायक अनुदान मद के विरूद्ध लंबित एक करोड़ से अधिक अनिकासी राशि की समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

राशि लाख में

क्र.सं.	नगर निगम	अनिकासी राशि	नगर परिषद्	अनिकासी राशि	नगर पंचायत	अनिकासी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बेगुसराय	261.23	सहरसा	298.63	परसाबाजार	184.63
2	गया	132.47	सीवान	146.44	गोगरी जमालपुर	111.00
3					मढ़ौरा	458.79
4					पकड़ीदयाल	106.59
5					शेरघाटी	313.92

- समीक्षा के क्रम में अनिकासी राशि का प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से प्राप्त कर समायोजन हेतु यथाशीघ्र विभाग में समर्पित करने का निदेश संबधित नगर निकायों को दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2016–17 तक निम्नांकित नगर निकायों में चार से अधिक लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र.सं.	नगर निगम का नाम	लंबित अंकेक्षण की संख्या	नगर परिषद का नाम	लंबित अंकेक्षण की संख्या	नगर पंचायत का नाम	लंबित अंकेक्षण की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	06	मसौढ़ी	04	हवेली–खड़गपुर	04
2	आरा	05	औरंगाबाद	05	ढ़ाका	04
3	बेगुसराय	04	डेहरी–डालमियानगर	04	सोनपुर	04
4	भागलपुर	04	बक्सर	06	मोतीपुर	05
5	छपरा	04	खगौल	05	रफीगंज	04
6			बेतिया	05	पीरा	04
7			सहरसा	04	कोईलवर	04
8			मधुबनी	06		
9			जमुई	05		
10			मोतिहारी	04		
11			सासाराम	04		
12			बरबीघा	04		

- लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर चिंता व्यक्त करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अंदर महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित नगर निकायों को दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2015–16 तक लंबित ए०सी०/डी०सी० के संबंध में विगत एक वर्ष से अधिक समय से लगातार इसकी समीक्षा मासिक बैठकों में की जा रही है, परन्तु इसमें कोई प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में संबंधित नगर निकायों को जहाँ ए०सी०/डी०सी० की राशि लंबित है, उन्हें अतिशीघ्र डी०सी० बिल बनाकर महालेखाकार से उसका सामंजन कराकर समायोजन पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

पेयजल निश्चय योजना :–

- कार्यपालक पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा बताया गया कि 09 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 06 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। अन्य 04 वार्ड में निविदा की प्रक्रिया की जा रही है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, हिलसा द्वारा बताया गया कि 26 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 03 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। उक्त 03 वार्ड में संवेदक द्वारा मात्र बोरिंग का कार्य कर, वर्त्तमान में कार्य नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि संबंधित संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाय।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बिहिया द्वारा बताया गया कि 03 वार्ड पूर्णतः नल–जल योजना से आच्छादित है तथा अन्य 06 वार्ड में एकरारनामा कर लिया गया है तथा शेष 05 वार्ड में निविदा 15 दिन के अन्दर आमंत्रित कर लिया जायेगा।
- कार्यपालक पदाधिकारी, पीरो द्वारा पी०एच०ई०डी० द्वारा किये गये कार्य के संबंध में बताया गया कि उनके द्वारा ओभरहेड टैंक बनाया गया है, परन्तु बोरिंग फेल है। फलतः हस्तानान्तरण नहीं लिया गया है। निदेश दिया गया कि वे विस्तृत बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को समर्पित करें।

- कार्यपालक पदाधिकारी, शाहपुर द्वारा बताया गया कि 08 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 06 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। शेष अन्य 03 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 के पुराने पाईप लाईन से गृह जल संयोजन किया जा सकता है। निदेश दिया गया कि वे पी0एच0ई0डी0 से सम्पर्क कर गृह जल संयोजन का कार्य करायें अथवा विभाग को प्रतिवेदित करें कि ताकि समुचित निदेश दिया जा सके।

- कार्यपालक पदाधिकारी, भभुआ द्वारा बताया गया कि 25 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 22 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 03 वार्ड पूर्णतः नल–जल से आच्छादित हो गये तथा 750 हाउॅस कनेक्शन दिया गया है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, मोहनियां द्वारा बताया गया कि सभी वार्ड में निविदा हो गया है तथा 03 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, कोआथ द्वारा बताया गया कि 06 वार्ड में निविदा किया गया है तथा 02 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। शेष अन्य 06 वार्ड में 26 मई 2018 तक निविदा कर लिया जायेगा।

- कार्यपालक पदाधिकारी, कोचस द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्य प्रारंभ है तथा 07 वार्ड का निविदा कार्य पूर्ण हो चुका है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नासरीगंज द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड पूर्णतः आच्छादित कर लिया गया है तथा 384 गृह जल संयोजन किया गया है। शेष 06 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 द्वारा गृह जल संयोजन करना है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नोखा द्वारा बताया गया कि 07 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 01 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। अन्य 08 वार्ड में इस माह में निविदा कर लिया जायेगा।

- कार्यपालक पदाधिकारी, चकिया द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्यादेश निर्गत किया गया है। 06 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 का पुराना पाईप से गृह जल संयोजन करना है। 02 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है तथा 02 वार्ड में पुनर्निविदा किया गया है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, मेहसी द्वारा बताया गया कि 06 वार्ड में कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है तथा 02 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। शेष अन्य वार्डों हेतु निविदा निस्तार की प्रक्रिया की जा रही है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, पकड़ीदयाल द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में कार्य प्रारंभ है तथा 03 वार्ड में निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। अगले सप्ताह में हाउॅस कनेक्शन का कार्य प्रारंभ हो जायेगा।

- कार्यपालक पदाधिकारी, सुगौली द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड में कार्य प्रारंभ है तथा 09 वार्ड में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। एक सप्ताह में हाउॅस कनेक्शन प्रारंभ हो जायेगा।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा बताया गया कि 05 वार्ड में कार्य आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है तथा शेष वार्ड में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, चनपटिया द्वारा बताया गया कि 04 वार्ड में कार्य प्रारंभ है तथा शेष वार्डों का परिमाण विपत्र बी0आर0जे0पी0 को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। निदेश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 शीघ्र परिमाण विपत्र का निष्पादन कर कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध करावें।

- कार्यपालक अभियंता, डुडा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 05 वार्ड में कार्य आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। 08 वार्ड निविदा निकाली जा रही है तथा 05 वार्ड का प्राक्कलन तैयार हो रहा है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, डुमरा द्वारा बताया गया कि 04 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा शेष अन्य 07 वार्डों में एकरारनामा 10 दिन पहले कर लिया गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, जनकपुर रोड द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्य प्रारंभ है तथा हाउॅस कनेक्शन का भी कार्य प्रारम्भ किया गया है। 04 वार्ड का परिमाण विपत्र बी0आर0जे0पी0 को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बीहट द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 09 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। अद्यतन 210 घरों को हाउॅस कनेक्शन भी दिया गया है। 06 वार्ड की निविदा प्रक्रियाधीन है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बखरी द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 04 वार्ड पी0एच0ई0डी0 के पुराने जलापूर्ति योजना से गृह जल का संयोजन किया जायेगा। बाकि वार्डों हेतु पुनर्निविदा की गयी है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बलिया द्वारा बताया गया कि 15 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 04 वार्ड में कार्य प्रारंभ है एवं 235 घरों में गृह जल संयोजन किया गया है। 09 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 के पुराने योजना से हाउॅस कनेक्शन किया जाना है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, तेघड़ा द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। शेष अन्य वार्डों में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बड़हिया द्वारा बताया गया कि 18 वार्ड का निविदा प्रकाशन हेतु भेजा गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, झाझा द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों में कार्य प्रारम्भ है तथा एक सप्ताह में गृह जल संयोजन प्रारम्भ हो जायेगा।
- कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि 06 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा शेष वार्ड की पुनर्निविदा की गयी है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, गोगरी जमालपुर द्वारा बताया गया कि 08 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा शेष 06 वार्ड में निविदा प्रक्रियाधीन है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, शेरघाटी द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड का प्राक्कलन संशोधनोपरान्त बी0आर0जे0पी0 को समर्पित किया गया। 16 वार्ड का निविदा 15 मई तक करने का आश्वासन दिया गया है। शेरघाटी नगर पंचायत के धीमी प्रगति पर खेद प्रकट किया गया तथा त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नवीनगर द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस माह के अन्त तक सभी वार्डों में निविदा कर ली जायेगी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, रफीगंज द्वारा बताया गया कि 03 वार्ड में कार्यादेश निर्गत किया गया है, परन्तु भू–जल की समस्या है। निदेश दिया गया कि विभाग के स्तर से रफीगंज से प्राप्त पत्र के आलोक में बी0आर0जे0पी0 को समाधान हेतु निदेश दिया जाय।
- कार्यपालक पदाधिकारी, हिसुआ द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा गृह जल संयोजन की संख्या 100 है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, मखदुमपुर द्वारा बताया गया कि अद्यतन 897 गृह जल संयोजन किया गया है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि 21 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा 01 वार्ड पूर्णत आच्छादित है। गृह जल संयोजन की संख्या 540 है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, कसबा द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा गृह जल संयोजन की संख्या 500 है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, मनिहारी द्वारा बताया गया कि 01 वार्ड पूर्णत आच्छादित है तथा गृह जल संयोजन की संख्या 350 है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा बताया गया कि 17 वार्ड में जमीन उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अगर पी0एच0ई0डी0 से जलापूर्ति योजना का हस्तानान्तरण हो जाता है तो सभी शेष वार्डों को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लिया जायेगा।
- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 05 बार निविदा निकाली गयी है, परन्तु निविदा प्राप्त नहीं हुआ है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बहादुरगंज द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड की निविदा सफल हुई है, जिसके निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि 08 वार्ड की निविदा की गयी है तथा शेष वार्डों में 15 तक निविदा कर ली जायेगी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, दिघवारा द्वारा बताया गया कि 18 वार्ड में निविदा की गयी है। 08 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। गृह जल संयोजन एक सप्ताह में प्रारम्भ हो जायेगा।
- कार्यपालक पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा बताया गया कि बुडको द्वारा हस्तानान्तरण की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो रही है। निदेश दिया गया कि मुख्यालय के स्तर से तिथि निर्धारित कर बुडको, बी0आर0जे0पी0 एवं नगर निकाय के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से निर्णय लेकर इस मुख्यालय को सूचित करें।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बरौली द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा 11 वार्ड में प्राक्कलन भेजना है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, कटैया द्वारा बताया गया कि 05 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा 08 वार्ड में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु बी0आर0जे0पी0 को भेजा गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, मीरगंज द्वारा बताया गया कि 04 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा शेष वार्ड में पुनर्निविदा की गयी है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा बताया गया कि 12 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा शेष का निविदा इस महीने कर लिया जायेगा।
- कार्यपालक पदाधिकारी, घोघरडीहा द्वारा बताया गया कि 04 वार्डों का निविदा सफल हुआ है, उसे निष्पादन हेतु बी0आर0जे0पी0 को भेजा जा रहा है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, जयनगर द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा 04 का निविदा प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा।
- कार्यपालक पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा बताया गया कि 04 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि 03 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा 04 वार्ड में निविदा की गयी है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, रोसड़ा द्वारा बताया गया कि 09 वार्ड में निविदा की गयी है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, दलसिंहसराय द्वारा बताया गया कि 04 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है, 09 वार्ड में निविदा निकाली गयी है।
- बैठक में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में अभी तक निविदा नहीं निकाली गयी है, उनके द्वारा हर हालत में इस महीने के अंत तक निविदा आमंत्रित कर ली जाय। यह भी निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में कार्य प्रारंभ है, वहाँ गृह जल संयोजन का कार्य त्वरित गति से किया जाय ताकि नागरिकों को जलापूर्ति उपलब्ध हो सके।
- बैठक में उपस्थित अधीक्षण, बिहार राज्य जल पर्षद को भी स्पष्ट निदेश दिया गया कि नगर निकायों से प्राप्त प्राक्कलन, परिमाण विपत्र, निविदाओं आदि का त्वरित निष्पादन करते हुए उसकी सूचना नोडल पदाधिकारी को दिया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

17/5/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–2707 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 17/5/18

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/5/2018

प्रधान सचिव